

मांग संख्या 23
मुख्य शीर्ष 2700

मद क्रमांक 1-3 तथा 5 से 18

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है। अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षों को खोला जाना आवश्यक है। उक्त शीर्षों में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी। अतः नवीन शीर्षों हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 4

राज्य शासन द्वारा महानदी परियोजना समूह में रेडियल गेट के अनुरक्षण तथा अन्य नहर एवं वितरक नहर के अनुरक्षण कार्य पर रूपये 200.00 लाख का अतिरिक्त व्यय संभावित है।

अतः इस प्रयोजन के लिए रूपये 2,00,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 2701

मद क्रमांक 19 से 72

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है। अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षों को खोला जाना आवश्यक है। उक्त शीर्षों में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी। अतः नवीन शीर्षों हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4700

मद क्रमांक 73 से 105 तथा 107-111

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है। अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षों को खोला जाना आवश्यक है। उक्त शीर्षों में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी। अतः नवीन शीर्षों हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 106

राज्य में जॉक परियोजना का कार्य लगभग पूर्ण हो गया है। परियोजना से संबंधित शेष दायित्वों के भुगतान हेतु रूपये 40.00 लाख की आवश्यकता है, जो विभागीय बचत से की जा रही है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 40,00,000 के अनुपूरक अनुदान की आवश्यकता है।

मुख्य शीर्ष 4701

मद क्रमांक 112 तथा 114 से 122

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा विभिन्न सिंचाई योजनाओं के लिए मुख्य शीर्ष, उप मुख्य शीर्ष तथा लघु शीर्ष में संशोधन व परिवर्तन किया गया है। अतः सही लेखांकन की दृष्टि से जल संसाधन के बजट में उक्त शीर्षों को खोला जाना आवश्यक है। उक्त शीर्षों में बजट प्रावधान विभागीय बचत से की जाएगी। अतः नवीन शीर्षों हेतु प्रतीक प्रावधान किया जा रहा है।

अतः इस प्रयोजन हेतु रूपये 100 के प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है।

मद क्रमांक 113

अपर जॉक परियोजना एक अन्तर्राज्यीय योजना है जिसमें शीर्ष का निर्माण उड़ीसा राज्य में हुआ है, तथा उसका जल सिंचाई हेतु छत्तीसगढ़ को प्राप्त होता है। राज्यों के मध्य हुए समझौते के अनुसार समानुपातिक लागत में से शेष 5.00 करोड़ का भुगतान उड़ीसा राज्य को किया जाना है।

अतः इस प्रयोजन हेतु अनुपूरक अनुदान के रूप में रूपये 5,00,00,000 के प्रावधान की आवश्यकता है ।

मद क्रमांक 123 से 133

जल मौसम विज्ञान नेटवर्क तथा संचालनालय स्थापना के अन्तर्गत वेतन एवं भत्ते शीर्ष के अन्तर्गत विस्तृत शीर्ष खोले जाना है इस हेतु रूपये100 का प्रतीक प्रावधान की आवश्यकता है ।